संख्या-29/2018/964जेएल/22-3-18-200(1)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/2018/719जेएल/22-3-18-200(1)/2018, दिनांक 20-04-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में निम्नलिखित 14 बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	माहिर पुत्र श्री जुबैदा	बुलन्दशहर	14495
2	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुत्तू सिंह	हरदोई	15058
3	राजेश पुत्र श्री जगभद्र सिंह	कानपुर नगर	15099
4	भगलू लोध पुत्र श्री बटेश्वर लोध	हरदोई	15108
5	सोमनाथ पुत्र श्री बटेश्वर लोध	हरदोई	15109
6	सुरेन्द्र पुत्र श्री तुलसीराम धीमर	फर्रूखाबाद	15111
7	दिवारीलाल पुत्र श्री गुलजारी लाल	फर्रूखाबाद	15123
8	रामखिलावन उर्फ खिलौना पुत्र श्री गेंदनलाल	कन्नौज	15215
9	बब्लू उर्फ अजय कुमार तिवारी पुत्र श्री सालिकराम	हरदोई	15211
10	नजई उर्फ जीवन किशोर पुत्र श्री चमनलाल	कानपुर नगर	15654
11	एहतशाम अली पुत्र स्व0 इलियास अली	कन्नौज	15987
12	पौवा उर्फ पप्पू पुत्र श्री मासूक	कन्नौज	17047

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	निसार पुत्र श्री फारूक	कन्नौज	17048
14	डब्बू उर्फ महेश पुत्र श्री रामसेवक चौबे	कन्नौज	17075

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-29/2018/964जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कारागार विभाग, उ0प्र0।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।